

उत्तर प्रदेश पशु क्रय-कर अधिनियम, 1976

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36, 1976}

THE UTTAR PRADESH CATTLE PURCHASE TAX ACT, 1976

[U. P. Act No. XXXVI of 1976]

उत्तर प्रदेश पशु क्रय-कर अधिनियम, 1976

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36, 1976}

उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 4 नवम्बर, 1976 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 8 नवम्बर, 1976 की बैठक में स्वीकृत किया।

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 17 नवम्बर, 1976 को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेश सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 19 नवम्बर, 1976 को प्रकाशित हुआ।

उत्तर प्रदेश में पशुओं के क्रय पर कर का उद्ग्रहण करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय—1

प्रारम्भिक

1— (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पशु क्रय-कर अधिनियम, 1976 कहा जायेगा।
विस्तार

संक्षिप्त नाम,
और प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे।

2— इस अधिनियम में :—

परिभाषाएं

(एक) ‘अपील प्राधिकारी’ का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन नियुक्त पशु-कर अपील प्राधिकारी से है,

(दो) ‘निर्धारण प्राधिकारी’ का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन नियुक्त पशु-कर निर्धारण प्राधिकारी से है,

(तीन) ‘पशु’ का तात्पर्य गाय, भैंस, ऊंट, हाथी, घोड़ा, गदहा, टट्टू, बकरी, भेड़, या सूअर या उनमें से किसी की सन्तति से है, चाहे वह नर हो या मादा और किसी भी उम्र का हो,

(चार) ‘पशु क्रय-कर’ या ‘कर’ का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय कर से है।

(पांच) ‘संग्रह प्राधिकारी’ का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन नियुक्त पशु-कर संग्रह प्राधिकारी से है,

(छः) ‘बाजार’ का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र और ऐसे अवधि के भीतर, जो विहित की जाय, लगने वाले हाट, मेला या प्रदर्शनी से है, जहां पशुओं के विक्रय का संव्यवहार व्यापक रूप से तय किया जाय, दर्ज किया जाय या सम्पन्न किया जाय।

1. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिये दिनांक 11 नवम्बर, 1976 ई. का सरकारी असाधारण गजट देखिये।

{उत्तर प्रदेश पशु क्रय-कर अधिनियम, 1976}

{धारा 3—6}

(सात) ‘कीमत’ का तात्पर्य पशु क्रय करने के लिए प्रतिफल के रूप में क्रेता द्वारा नकद या वस्तु के रूप में दी गई या देय राशि से है और जब वह वस्तु रूप में हो तो उसके बराबर नकद राशि से है और कीमत में गिरवी के संव्यवहार की स्थिति में, गिरवी से प्राप्त राशि भी सम्मिलित हैं,

(आठ) 'क्रेता' का तात्पर्य बाजार में स्वयं अपनी ओर से या दूसरे की ओर से पशु क्रय करने वाले व्यक्ति से है और उसमें बाजार में गिरवी रखे गये पशु का पण्डमदार भी सम्मिलित है,

(नौ) 'विक्रय' का तात्पर्य कीमत के बदले में स्वामित्व के अन्तरण से है, और इसमें गिरवी का अन्तरण भी सम्मिलित है और पद 'क्रय' का तदनु रूप अर्थ लगाया जायगा,

(दस) 'विक्रेता' का तात्पर्य बाजार में स्वयं अपनी ओर से या किसी दूसरे की ओर से पशु का विक्रय करने वाले व्यक्ति से है।

अध्याय 2

कर का अधिरोपण

3— राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित दिनांक पर और दिनांक से, बाजार में पशु के क्रय पर कर का पशु के क्रय पर कर उद्ग्रहण

स्पष्टीकरण — जिस स्थान पर बाजार लगता है, उस स्थान से पांच किलोमीटर के भीतर किसी भी स्थान पर किये गये क्रय को बाजार में किया गया क्रय समझा जायेगा।

4— जहां किसी संव्यहार के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन कोई कर देय हो, वहां किसी अन्य उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन पशु के क्रय या विक्रय पर कोई, कर उपकर शुल्क या अन्य उद्ग्रहण देय नहीं होगा। अन्य कर से छूट

5— राज्य सरकार, जनसाधारण के हित में, अधिसूचना द्वारा किसी क्रेता या क्रेताओं के किसी वर्ग को कर के भुगतान से छूट दे सकती है। राज्य सरकार को की शक्ति

अध्याय 3

कर और शास्ति की वसूली

6— राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी विशिष्ट क्षेत्र या विशिष्ट बाजार के लिये प्राधिकारियों की नियुक्ति किसी व्यक्ति को, चाहे नाम से या पदनाम से —

(क) कर और शास्ति का निर्धारण कार्य करने और किसी अन्य कार्य को, जो विहित किया जाय, करने के लिए पशु-कर निर्धारण प्राधिकारी;

(ख) इस अधिनियम में उपबंधित अपील की सुनवाई और उसका निस्तारण करने के लिए 'पशु-कर अपील प्राधिकारी';

(ग) इस अधिनियम के अधीन कर और शास्ति का संग्रह या उसे वसूल करने के लिये 'पशु-कर संग्रह प्राधिकारी' नियुक्त कर सकती है।

[उत्तर प्रदेश पशु क्रय-कर अधिनियम, 1976]

[धारा 7—11]

परन्तु एक से अधिक क्षेत्र या बाजार में एक ही कार्य के लिये एक ही प्राधिकारी नियुक्त किया जा सकता है या, किसी विशिष्ट क्षेत्र या बाजार में एक ही कार्य के लिये एक से अधिक व्यक्ति नियुक्त किये जा सकते हैं।

7— (1) राज्य सरकार, किसी बाजार में कर संग्रह का अधिकार, सार्वजनिक नीलाम कर संग्रह का अधिकार या आपसी बातचीत द्वारा, एक बार में दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिये ऐसी शर्तों और उपबन्धों पर, जैसी राज्य सरकार उचित समझे, किसी व्यक्ति को पट्टे पर दे सकती है। ठेके पर देना

(2) उपधारा (1) के अधीन पट्टा की स्थिति में पट्टेदार को और उसके द्वारा कर का संग्रह करने के प्रयोजन के लिये उसके अभिकर्ता के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन नियुक्त संग्रह प्राधिकारी समझा जायगा।

8— (1) धारा 6 के अधीन संग्रह प्राधिकारी के रूप में नियुक्त ऐसे व्यक्ति से, जो सरकारी सेवा में न हो, ऐसी पर्याप्त प्रतिभूति देने की अपेक्षा की जायगी, जिससे इस अधिनियम के अधीन वसूल की गई राशि का सरकारी कोषागार में जमा किया जाना सुनिश्चित हो जाय। प्रतिभूति

(2) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन पट्टेदार से अपेक्षा की जायगी कि वह पट्टे की शर्तों और निबन्धनों का सम्यक् पालन करने के लिये ऐसी प्रतिभूमि दे, जैसी, राज्य सरकार निदेश दे।

9— (1) कर की मांग करने पर भुगतान न करने की स्थिति में, संग्रह प्राधिकारी पशु करने

पशुओं का अभिग्रहण

का अभिग्रहण कर सकता है और इस प्रकार अभिग्रहण करने या पशु को निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायगा।

की शक्ति

(2) यदि पशु का अभिग्रहण किये जाने के 24 घंटे के भीतर कर और अधिरोपित शास्ति, यदि कोई हो, और अभिग्रहण से उत्पन्न व्यय का भुगतान कर दिया जाय तो पशु को छोड़ दिया जायेगा।

(3) यदि उपधारा (2) में उल्लिखित दोनों का भुगतान उक्त अवधि के भीतर न किया जाय तो निर्धारण प्राधिकारी पशु को बेच सकता है और कर, अधिरोपित शास्ति, यदि कोई हो, और ऐसे अभिग्रहण और विक्रय के कारण हुए व्यय को काटने के पश्चात् अधिवेश, यदि कोई हो, पशु के स्वामी को लौटा देगा;

परन्तु निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किये गये ऐसे विक्रय पर इस अधिनियम के अधीन क्रेता द्वारा कोई कर देय नहीं होगा।

10— यदि कोई क्रेता क्रय के समय या विहित अवधि के भीतर अपने द्वारा देय कर करने

कर का भुगतान न

की सम्पूर्ण राशि का भुगतान नहीं करता है तो वह देय कर के अतिरिक्त निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति का भी देनदार होगा;

के लिए शास्ति

परन्तु क्रेता को सुनवाई का अवसर दिये बिना कोई शास्ति अधिकरोपित नहीं की जायगी, परन्तु यह भी कि शास्ति की राशि अदत्त कर की राशि से पांच गुने अधिक न होगी।

11— संग्रह प्राधिकारी अपने द्वारा वसूल की गयी समस्त राशि को वसूल करने के करना

कोषागार में जमा

दिनांक से तीन दिन के भीतर सरकारी कोषागार में जमा करेगा, जिसके न करने पर, वह इस लिये प्रकार वसूल की गई राशि के अतिरिक्त, निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति का देनदार होगा;

और व्यक्ति क्रय के

शास्ति

{उत्तर प्रदेश पशु क्रय-कर अधिनियम, 1976}

{धारा 12-14}

परन्तु उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जायगी :

परन्तु यह भी कि शास्ति की राशि उसके द्वारा देय धनराशि से अधिक न होगी।

12— इस अधिनियम के अधीन देय कर, या शास्ति की राशि या अन्य राशि, निर्धारण रूप में

भू-राजस्व के

प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र पर भू-राजस्व की वकाया की भांति वसूल की जा सकेगी।

बसूली

अध्याय 4

अपील

13— (1) कर निर्धारण या धारा 10 या धारा 11 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उसे आदेश की संसूचना के दिनांक से तीन दिन के भीतर अपील प्राधिकारी को विहित रीति से अपील कर सकता है;

अपील

परन्तु कोई ऐसी अपील ग्रहण नहीं की जायगी जब तक कि उसके साथ अपील प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के पास निर्धारण कर और अधिरोपित शास्ति की, यदि कोई हो, कम से कम आधी राशि का भुगतान करने का सन्तोषप्रद सबूत न हो।

(2) अपील प्राधिकारी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकता है यदि उसका समाधान हो जाय कि उक्त अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत न करने का पर्याप्त कारण था।

(3) अपील प्राधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपील पर ऐसे आदेश देगा, जैसा वह उचित समझे और वह आदेश अन्तिम होगा।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

14— निर्धारण प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी को इस अधिनियम के उपबन्धों को उपस्थित होने
आदि के लिए बाध्य करने
कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित बातों के सम्बन्ध में वहीं शक्तियां होगी, जो किसी
की शक्ति
वाद पर विचार करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में
निहित हैं :-

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिये बाध्य करना और शपथ या प्रतिज्ञान पर उसकी परीक्षा करना,

(ख) कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये बाध्य करना,

(ग) किसी साक्षी के साक्ष्य या स्थानीय अन्वेषण या लेखों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना, और

(घ) ऐसा अन्तरिम आदेश देना जैसा न्याय के उद्देश्य के लिए आवश्यक हो, और इस अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के प्रयोजनार्थ न्यायिक कार्यवाही समझा जायगा।

{उत्तर प्रदेश पशु क्रय-कर अधिनियम, 1976}

{धारा 15-17}

15— निर्धारण प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी निर्धारण या अपील के निस्तारण के सुधार भूल
दिनांक से एक वर्ष के भीतर किसी समय, यथास्थित, निर्धारण या अपील के अभिलेख में प्रत्यक्ष किसी भूल का सुधार कर सकता है :

परन्तु कोई ऐसा सुधार, जिससे क्रेता का दायित्व बढ़ जाय, क्रेता का सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं किया जायगा।

16— इस अधिनियम के अधीन दिये किसी आदेश पर आपत्ति करने के प्रयोजनार्थ वाहियों किसी न्यायालय में कोई बाद ग्राह्य नहीं होगा और इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गयी किसी बात के लिये किसी प्राधिकारी या राज्य सरकार के विरुद्ध कोई अभियोजन, वाद या अन्य कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

वादों और कार्य पर रोक

17— (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित
(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्न लिखित की व्यवस्था की जा सकती है।

नियम करने के लिए

(क) क्षेत्र के अनुसार बाजार का परिसीमन और उसकी अवधि,
(ख) रीति, जिसके अनुसार कर का निर्धारण, भुगतान या संग्रह किया जायगा,
(ग) विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा रखे जाने वाले प्रपत्र और रजिस्टर,
(घ) धारा 7 के अधीन कर का संग्रह करने को ठेके पर देने की रीति,
(ङ) धारा 9 के अधीन पशु का अभिग्रहण, उसकी अभिरक्षा और उसे छोड़ना,
(च) धारा 13 के अधीन अपील का प्रपत्र और उसे करने की रीति और उस पर देय न्यायालय फीस,

(छ) इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का निर्वहन करने में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया,

(ज) अधिक वसूल की गयी राशि को वापस करना,

(झ) बाजार में पशु की बिक्री करने वाले विक्रेता द्वारा या उस व्यक्ति द्वारा, जिसकी भूमि पर बाजार लगे, निर्धारण प्राधिकारी को दी जाने वाली सूचना।

(ञ) नोटिस और आदेश तामील करने का प्रपत्र और उसकी रीति,

(ट) कोई अन्य विषय, जिसे विहित किया जाना हो या किया जाय।

{उत्तर प्रदेश पशु क्रय-कर अधिनियम, 1976}

{अनुसूची}

अनुसूची

{धारा 3 देखिए}

पशु का नाम प्रति पशु की दर

रु०

1. बकरा/बकरी या भेड़/भेड़ी

.. ..

3

2. भैंसा का बच्चा (नर)	..	..	..	5
3. ऊंट का बच्चा (नर या मादा)	..	..	..	5
4. गाय का बच्चा (मादा)	..	..	..	5
5. सुअर	..	..	..	5
6. भैंस का बच्चा (मादा)	..	..	..	10
7. गाय का बच्चा (नर)	..	..	..	10
8. गधा (नर या मादा)	..	..	..	10
9. गाय	..	..	..	15
10. खच्चर या टट्टू (नर या मादा)	..	..	..	15
11. भैंसा (नर)	..	..	..	20
12. घोड़ा या घोड़ी	..	..	..	20
13. ऊंट (नर या मादा)	..	..	..	25
14. भैंसा (मादा)	..	..	..	30
15. बैल या सांड	..	..	..	30
16. हाथी (नर या मादा)	..	..	..	50

THE UTTAR PRADESH CATTLE PURCHASE TAX ACT, 1976

[U. P. Act No. XXXVI of 1976]

[Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on November 4, 1976 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on November 8, 1976,

Received the assent of the Governor on November 17, 1976 under Article 200 of 'the Constitution of India', and was published in the Uttar Pradesh Gazette. Extraordinary dated November 19, 1976]

AN

ACT

to provide for the levy of a tax, on the purchase of cattle in Uttar Pradesh.

It is hereby enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as follows.

CHAPTER I

Preliminary

Short title, Purchase Tax extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Cattle Purchase Tax Act, 1976.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in that behalf.

Definitions

2. In this Act--

(i) "appellate authority" means the Cattle Tax Appellate Authority appointed under this Act

- (ii) "assessing authority" means the Cattle Tax Assessing Authority appointed under this Act;
- (iii) "cattle" means a cow, buffalo, camel, elephant, horse, donkey, pony, goat, sheep or swine or the progeny of any of them, whether male or female, and of any age;
- (iv) "cattle purchase tax" or "the tax" means the tax levied under this Act
- (v) "collecting authority" means the Cattle Tax Collecting Authority appointed under this Act;
- (vi) "market" means a fair or exhibition where mass transactions of sale of cattle are settled, entered into or effected held within such area and such period as may be prescribed ;

[The Uttar Pradesh Cattle Purchase Tax Act, 1976]

[Section 3-6]

(vii)

"price" means the amount paid or payable by the purchaser

as consideration for the purchase of cattle whether in cash or kind and when in kind its cash equivalent and in case of a transaction of pledge, also includes the amount secured by the pledge ;

(viii) "purchaser" means a person purchasing cattle in a market, whether on his own behalf or on behalf of another, and includes a pawnee of a cattle pledged in a market:

(ix) "sale" means a transfer of ownership in exchange for a price, and includes a transaction of pledge, and the term "purchase" shall be construed correspondingly ;

(x) "seller" means a person selling cattle in the market whether on his own behalf or on behalf of another.

CHAPTER II

Imposition of the Tax

Levy of tax on purchase of cattle, on 3. On and from the date notified by the State Government in this behalf there shall be paid to the State Government by the purchaser in a market, a tax to be called cattle purchase every transaction of sale of cattle at the rate given in the Schedule.

Explanation-A purchase made at any place within the radius of five kilometres of the place where a market is being held shall be deemed to be a purchase in the market.

Exemption from cattle, other taxes in 4. No tax, cess, duty or other levy on the sale or purchase of under any other Uttar Pradesh Act shall be payable where respect of transaction a tax is payable under this Act.

Power of the State Government to exempt 5. The State Government may, in the interest of the general public, by notification exempt any purchaser or class of purchasers from the payment of the tax.

CHAPTER III

Realization of the tax and penalty

- Appointment of authorities name
6. The State Government may by notification appoint for a particular area or a particular market any person, either by or by designation-
- (a) "Cattle Tax Assessing Authority" to perform the functions of assessing the tax and penalty and to perform any other function as may be prescribed;
 - (b) "Cattle Tax Appellate Authority" to hear and dispose of appeals provided for in this Act;
 - (c) "Cattle Tax Collecting Authority" to collect or realize the tax and penalty under this Act;

[The Uttar Pradesh Cattle Purchase Tax Act, 1976]

[Section 7-11]

the one area

Provided that the same Authority may be appointed for same function in more than one area or market or, more, than person may be appointed for the same functions in a particular or market.



Forming out of the right to	7.	(1) The State Government may lease the right to collect the tax in a market, to any person by public auction or' by private negotiations, collect the tax for a period not exceeding two years at anyone time, on such terms and conditions as the State Government may deem fit. (2) In the case of lease under sub-section (1) the lease and every person appointed by him as his agent for the purpose of collection of the tax shall be deemed to be a collecting authority appointed under this Act.
Security Collecting	8.	(1) A person not in the service of the Government, appointed Authority under section 6 shall be required to furnish security adequate to ensure the deposit in Government Treasury of the realizations made under this Act. (2) A lessee under sub-section (1) of section 7 shall be required to furnish such security. for due fulfillment of the terms and conditions or the lease as the State Government may direct:
Power of seizure of cattle shall	9.	(1) In case or non-payment of the tax on demand, it he Collecting Authority may seize the cattle and upon, such seizure the cattle be produced before the assessing authority. (2) If the tax, together with penalty if any imposed, and expenses arising from such seizure is paid within 24 hours from the seizure the cattle shall be released. (3) If the dues mentioned in sub-section (2) are not paid within the said period the assessing authority may sell. the cattle and after deducting the tax, the penalty, if any, imposed and the expenses occasioned by such seizure and sale, refund the balance, if any, to the owner of the cattle; Provided that no tax under this Act shall be payable by the purchaser at such sale by the assessing authority.
Penalty for non-payment of the shall tax the	10.	If a purchaser fails to pay the entire amount of the tax payable him at the time of purchase or within the prescribed period, he be liable to pay in addition to t ax due, penalty as imposed by assessing authority : Provided that no penalty shall be imposed without giving to the purchaser an opportunity of being heard : Provided further that the amount of penalty shall not exceed five times the amount of the tax remaining unpaid.
Deposit in Treasury and penalty on default	11.	The Collecting Authority shall deposit all amount realized by him in the Government Treasury within three days of realization failing which he shall be liable to pay, besides the amount so realized, a penalty imposed by the assessing authority;
		[The Uttar Pradesh Cattle Purchase Tax Act, 1976] [Section 12-14] Provided that no penalty shall be imposed without giving him an opportunity of being heard; Provided further that the amount of penalty shall not exceed the amount of money due from him.
Recovery as this land revenue certificate	12.	Any amount of the tax, penalty or other amount due under Act, shall be recoverable as arrears of land revenue on a of the assessing authority.

CHAPTER IV

Appeals

- Appeals Imposing of
13. (1) Any person aggrieved by an order assessing the tax, or penalty under section 10 or section 11 may Within thirty days the order being communicated to him, appeal to the appellate authority in the prescribed manner;
- Provided that no such appeal shall be entertained unless it is accompanied by satisfactory proof of payment of not less than one-half of the tax assessed and penalty, if any; imposed on the-person preferring the appeal.
- (2) The appellate authority may admit an appeal after the expiry of the period referred to in sub-section (1) if it is satisfied that there was sufficient cause for not preferring the appeal within that period.
- (3) The appellate authority shall, after affording 'the appellant an opportunity of being heard, pass such order in the appeal as it thinks fit and that order shall be final.

CHAPTER V

Miscellaneous

- Power to enforce same attendance Code of Civil etc.
14. For the purposes of carrying out the provisions of this Act the assessing authority and the appellate authority shall have the powers as are vested in a civil court under the Procedure, 1908 while trying a suit in respect of-
- (a) enforcing attendance of any person and examining him on oath or affirmation;
- (b) compelling the production of any documents;
- (c) issuing Commission for the examination of any witness or for local investigation or for examination of accounts; and
- (d) passing such interim orders as may be necessary in the ends of justice;
- and any proceeding before such authority under this deemed to be a judicial proceeding for the purposes of section 193 and 228 of the Indian Penal Code.

[The Uttar Pradesh Cattle Purchase Tax Act, 1976]

[Section 15-17]

- Rectification of any mistakes disposal of rectify any mistake apparent on the face of the record of the assessment or appeal, as the case may be :
15. The assessing authority or the appellate authority may, at time within' one year from the date of assessment or appeal,

Provided that no rectification having the effect of enhancing the liability of the purchaser shall be made without allowing him an opportunity of being heard.

- Bar to suits and any proceedings other
16. No suit shall lie in any court for the purpose of questioning order made under this Act, and no prosecution, suit or proceeding shall lie against any authority or the State Government for anything done in good faith under this Act.
- Rules carry
17. (1) The State Government may, by notification make rule to out the purposes of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing powers such rules may provide for:-

- (a) the delimitations of a market according to area and period ;
- (b) the manner in which the tax shall be assessed paid or collected;
- (c) the forms and, registers to be maintained by the various authorities;
- (d) the manner of farming out under section 7 the collection of tax;
- (e) the seizure, custody and release of cattle under section 9;
- (f) the form and manner of appeal under section 13 and the court fee payable thereon;
- (g) the procedure to be followed by any officer or authority in the performance of functions under this Act ;
- (h) the making of refunds of amounts realised in excess ;
 - (i) the information to be furnished to the assessing authority by a seller selling cattle in a market or by a person on whose land such market is held;
- (j) the forms and the manner of service of notices And orders;
- (k) any other matter which is to be, or may be prescribed.

[The Uttar Pradesh Cattle Purchase Tax Act, 1976]

[Schedule]

SCHEDULE**(See Section 3)**

Name of cattle				Rate of the tax per	
				head	Rs.
1. Goat or Sheep (male or female)	..	..	..		3
2. Buffalo Calf (male)	..	..	..		5
3. Camel Calf (male or female)					5
	..	..	..		
4. Cow Calf (female)					5
	..	..	..		
5. Swine					5
	..	..	..		
6. Buffalo Calf (female)					10
	..	..	..		
7. Cow Calf (male)					10
	..	..	..		
8. Donkey (male or female)					10
9. Cow	..	..	..		15
10. Mule or poney (male or female)	..	..	..		15
11. Buffalo (male)	..	..	..		20
12. Horse or mare	..	..	..		20
13. Camel (male or female).					25
	..	..	..		
14. Buffalo (female)					30
	..	..	..		
15. Bullock or Bull					30
	..	..	..		
16. Elephant (male or female)					50
	..	..	..		